(ख) ऐसे कौन-कौन से उदाहरण हैं जिनमें गत तीन वर्षों में केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड की सिफारिशें न मानी गई हों ; और

(ग) क्या तत्सम्बंधी विवरण सभा-पटल पर रखा जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) अच्छी रुचि को ठेस पहुँचाने वाली फिल्मों को अस्वीकृत करने का उत्तरदायित्व केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड का है। कभी-कभी सरकार भी केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के कहने पर या उसे प्राप्त शिकायतों के आधार पर सीधे ही फिल्मों को यह सुनिश्चित करने के लिए देखती है कि इस प्रकार की फिल्मे बिना उपयुक्त संशोधन के प्रदर्शित न हों।

(ख) केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड चलचित्र अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत सेंसर संबंधी मामलों पर निर्णय लेने मे सक्षम है। बोर्ड सरकार की सिफारिशे नही करता।

(ग) प्रश्न नही उठता।

युवकों के लिए आकाशवाणी प्रसारण

251. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या सूचना और प्रसारण मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी से गैरविद्यार्थी युवा वर्ग के ज्ञानवर्द्धन एव उनका मनोबल बनाए रखने के लिये कार्यक्रम प्रसारित किये जाते है , और

(ख) यदि नही, तो क्या भविष्य मे ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करने की सरकार की कोई योजना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नंदिनी सत्पथी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी विभागों में अनियमित नियुक्तियां

252 **श्री रामरतन शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने अपने 1970-71 के प्रतिवेदन में इस पर चिंता व्यक्त की है कि सरकारी विभागों मे अनियमित नियुक्तिया लगातार जारी है ; और

(ख) यदि हा, तो इस सम्बंध मे वास्तविक स्थिति क्या है तथा इस मामले मे क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अपनी 21वी वार्षिक रिपोर्ट के पैरा 29 मे, संघ लोक सेवा आयोग ने इस ओर संकेत किया था कि सरकार द्वारा अनुदेश जारी करने के बावजूद भी, ऐसे मामले होते रहे हैं जिनमें आयोग का परामर्श लेने में असाधारण रूप से देर की गई और ऐसे मामले भी है जहां नियुक्तिया शुरू से ही अनियमित रूप से की गई थी।

(ख) विभिन्न पदो पर अनियमित रूप से हुई उन नियुक्तियो की सूची जो संघ लोक सेवा आयोग को उनके बारे मे विवरण ठीक समय के अन्दर नही दिये जाने के कारण हुई थी, उन्हे संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 1970-71 की 21वी रिपोर्ट के परिशिष्ट-XVIII मे दिया गया है। आयोग ने उस रिपोर्ट के पैराग्राफ 29 मे वर्ष 1970-71 के दौरान नियुक्तियों में अनियमितताओं के कुछ मामले भी दिखाये हैं। अनियमित नियुक्तियों के मामले सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के ध्यान में लाये जाते है कि वे इस बात की जांच करे कि ऐसी नियुक्तियां किन परिस्थितियों में की गई हैं, जिससे उसके लिए उत्तरदायित्व निश्चित किया जा सके तथा जहां आवश्यक हो उपचारक कदम उठाये जा सकें।